

2. Receipts under State Motor Vehicles Taxation Act

Receipts under State Motor Vehicle Act

विषय-सूची

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

| गराएँ | · · · · | पृष्ठ क्र. |
|----------------|--|------------|
| | संक्षिप्त नाम, बिस्तार और प्रारंभ | 1 |
| 2. | นใงทยายั้ | 1 |
| | मोटरयानों पर कर उदग्रहण | 1 |
| | व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर | 2 |
| | कर का संदाय | 2 |
| | किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन | 3 |
| | स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान | 3 |
| | घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण | 4 |
| ». | कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना | 4 |
| 10. | कर के संदाय की रीति | 4 |
| 10. | कर के उदग्रहण से सामान्य छूट | 5 |
| | कर के उद्ध्रहन से सामान्य यूट | 5 |
| 12. | टाकन प्रदान करना | |
| 3. | कर की सदाय करने में असफेल रहन के लिए शास्त | |
| 4. | | |
| 15. | कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटऱ्यान का अभिग्रहण करने या उसे | |
| 16. | | |
| | निरुद्ध करने की शक्ति | |
| 17. | अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध | 5 |
| 18. | अधिकारी लोक सेवक होगे | |
| 19. | वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन | |
| 20. | अपील | |
| 20-क. | अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील | 1 |
| 20-ख. | अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण | 1 |
| 20- ग . | कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन | 1 |
| 21. | कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति | 1 |
| 22. | कर की मांग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना | 1 |
| 23. | अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति | 1 |
| 24. | नियम बनाने की शक्ति | 1 |
| 25. | कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति | 1 |
| 26. | निरसन और व्यावृत्ति | 1 |
| | प्रथम अनुसूची | 13-2 |
| | द्वितीय अनुसूची | 25-2 |
| | ततीय अनुसूची | 2 |



| प्रथम अनुसूची [धारा 3 की उपधारा (1)] | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| मोटरयान का वर्ग मोटरयानों के लिये तिमाही कर की | | | | | |
| | (1) | (2) | | | |
| 1[एक. | मोटर साइकिल जिसका लदान रहित वजन- | रुपये | | | |
| | (क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है | 18.00 | | | |
| | (ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं | 28.00 | | | |
| दो. | मोटरकार जिसका लदान रहित वजन- | | | | |
| | (क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 64.00 | | | |
| | (ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 94.00 | | | |
| | (ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है । | 112.00 | | | |
| | (घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 132.00 | | | |
| | (ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :- | 150.00 | | | |
| | (क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 28.00 | | | |
| | (ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है। | 66.00 | | | |
| तीन. | अशक्त यात्री गाड़ी : | 9.00 | | | |
| चार. | लोक सेवा यान : किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान- ² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्शा) | | | | |
| | ³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर) | रु. 150.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही या निम्नलिखित दर पर जीवन- | | | |
| | and the constant of the second starts | काल-कर | | | |
| | | (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत । | | | |
| | | (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसक जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो।] | | | |

(असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित ।



| प्रथम अनुसूची [धारा 3 की उपधारा (1)] | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| मोटरयान का वर्ग मोटरयानों के लिये तिमाही कर की द | | | | | |
| | (1) | (2) | | | |
| ¹ [एक. | मोटर साइकिल जिसका लदान रहित वजन- | रुपये | | | |
| | (क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है | 18.00 | | | |
| | (ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया ज है या नहीं | | | | |
| दो. | मोटरकार जिसका लदान रहित वजन- | | | | |
| 1999 | (क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 64.00 | | | |
| | (ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्रा अधिक नहीं है। | म से 94.00 | | | |
| | (ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्रा अधिक नहीं है। | म से 112.00 | | | |
| | (घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्रा अधिक नहीं है। | म से 132.00 | | | |
| | (ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान वजन :- | 150.00 रहित | | | |
| | (क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 28.00 | | | |
| | (ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है। | 66.00 | | | |
| तीन. | अशक्त यात्री गाड़ी : | 9.00 | | | |
| चार. | लोक सेवा यान : किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाए जा रहे व यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान- ² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अ यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्शा) | नुज्ञात रु. 40.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही | | | |
| | ³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों व जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर |) या निम्नलिखित दर पर जीवन- काल-कर | | | |
| | | (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत । | | | |
| | | (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका जीवन-काल-कर पूर्व में ही | | | |
| 2. 1997 | ूचना क्र. एफ. 16-3-92-आठ, दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस् के म.प्र. अधिनियम क्र. 11 द्वारा प्रतिस्थापित । देश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 | | | | |



| प्रथम अनुसूची [धारा 3 की उपधारा (1)] | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| मोटरयान का वर्ग मोटरयानों के लिये तिमाही कर की | | | | | |
| | (1) | (2) | | | |
| ¹ [एक. | मोटर साइकिल जिसका लदान रहित वजन- | रुपये | | | |
| | (क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है | 18.00 | | | |
| | (ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं | 28.00 | | | |
| दो. | मोटरकार जिसका लदान रहित वजन- | | | | |
| 1000 | (क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 64.00 | | | |
| | (ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 94.00 | | | |
| | (ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है । | 112.00 | | | |
| | (घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 132.00 | | | |
| | (ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :- | 150.00 | | | |
| | (क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | 28.00 | | | |
| | (ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है। | 66.00 | | | |
| तीन. | अशक्त यात्री गाड़ी : लोक सेवा यान : | 9.00 | | | |
| चार. | किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान- | | | | |
| | ² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्शा) | | | | |
| | ³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर) | या निम्नलिखित दर पर जीवन- काल-कर | | | |
| | | (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत । | | | |
| | | (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका | | | |
| | | जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो ।] | | | |

 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।



| 16 | N. 11 11 | श मोटरयान कराधान अधिनियम, | 1991 अनुसूची |
|-----------------------|---|--|--|
| | | नत/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप | |
| | | के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों | |
| | | प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने | |
| | | र यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ | |
| | अनुज्ञापत्र | | |
| | | सी पारस्परिक करार के अधीन | |
| | (क |) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के | प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग |
| | | लिए | के लिए रु. 20.00 प्रतिसीत प्रतिमास. |
| | (ख | एक्सप्रेस सेवा के लिए | प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग |
| | | | के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास. |
| | (दो) पार | स्परिक करार के बिना | 200 000 |
| | |) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के | रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + |
| | | लिए | प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग |
| | | | के लिए रु. 40.00 प्रतिसीट |
| | | | प्रतिमास. |
| | (ख |) एक्सप्रेस सेवा के लिए | रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + |
| | | | प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग |
| | | | के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट |
| | | | प्रतिमास.] |
| | (4) साधारण से | वा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात | |
| | | के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री | |
| | के लिए जिस | ते ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया | |
| | | ा जहाँ अनुज्ञापत्र - | |
| | | ी पारस्परिक करार के अधीन | प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के |
| | | | लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास. |
| | (दो) पारस | यरिक करार के बिना | रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + |
| | | | प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग |
| | | | के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट |
| | | | प्रतिमास.] |
| 10 | ङ) ऐसे यान जो छह से | अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए | Sector Se |
| | | । परिवहन/आरक्षित परिवहन यान के | |
| | | लाये जाने के लिए रखे गए हैं | |
| will wrome and | | | |
| . आवसूचना (असाधारण | क्रमाक एफ-1-6/200 () दिनांक 24 नवाला व | 9-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 इ 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रका | रिर प्रतिस्थापित । मध्यप्रदेश राजपत्र |
| 05-22-37 | -2007-आठ दिनांक 15 म | ई, 2008 द्वारा (दिनांक 1 जून, 2008 से) प्र | निर्णाणिन विकार प्राप्त कि जिले जन्मके |



| | (एक) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए | रु. 230.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
|-----|---|---|
| | (एक) वातानुकूल्लि/डालक्स बस के लिए | रु. 180.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| | (तीन) साधारण बस के लिए | रु. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास ।] |
| (च) | ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरेज) | |
| (4) | 1[(1) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने | |
| | के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, | |
| | 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन | |
| | मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए ''ऑल इंडिया | |
| | टूरिस्ट परमिट" के अन्तर्गत ठेकागाड़ी के रूप में | |
| | चलाए जा रहे हैं, | |
| | (क) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को | रुपये 150 प्रतिसीट, प्रतिमाह या |
| | छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब | निम्नलिखित दर पर जीवन-काल- |
| | यान के लिए | कर |
| | | (एक) नए यान के मूल्य (कास्ट) |
| | | का 10 प्रतिशत; |
| | | (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) |
| | | का 5 प्रतिशत जिनका |
| | | जीवन-काल-कर पूर्व में ही |
| | | संदत्त कर दिया गया हो । |
| | (ख) 12 से अधिक सीटों (चालक को छोड़कर) | रुपये 800.00 प्रतिसीट प्रतिमाह] |
| | वाले यानों के लिये | |
| | 2[(2) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने | |
| | के लिए अनुज्ञात हैं और राज्य के भीतर ठेका गाड़ी | |
| | के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) | |
| | प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह | |
| | यान अनुज्ञात है - | |
| | (एक) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को | ³ [रु. 300.00 प्रतिसीट प्रति |
| | छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | यान के लिए | - |
| | (दो) 12 से अधिक (चालक को छोड़कर) | |
| | बैठक क्षमता के यान के लिए - | |
| | (क) साधारण बस के लिए | रु. 500.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| | (ख) वातानुकूलित/डीलक्स बस के | रु. 600.00 प्रतिसीट प्रतिमास |
| | लिए | |

3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।



| 18 | मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, | 1991 अनुसूची |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| | ¹ [(3) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने | |
| | के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, | |
| | 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन | |
| | अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए ''ऑल इण्डिया | |
| | टूरिस्ट परमिट'' के अन्तर्गत ठेका गाड़ी के रूप में | |
| | चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक सीट (चालक को | |
| | छोड़कर) के लिए जिसको ले जाने के लिए यान | |
| | अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है | |
| | (एक) वातानुकूलित यान के लिए | रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन |
| | (दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए | रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन ।] |
| | ¹ [(4) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने | |
| | के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, | |
| | 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन | |
| | अन्य राज्यों द्वारा मंजूर किए गए ऐसे विशेष | |
| | अनुज्ञा-पत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे | |
| | हैं, प्रत्येक सीट (चालक को छोड़कर) के लिए | |
| | जिसको ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, जब | |
| | तक यान मध्यप्रदेश में रहता है | |
| | (एक) वातानुकूलित यान के लिए | रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन |
| | (दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए | रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन ।] |
| | 2[(4-क) ऐसे यान, जो तीन से अधिक किन्तु छह से | נו האמול אומפול אומולא וו |
| | अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं | |
| | और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा | |
| | 88 की उपधारा (8) तथा (9) के अधीन अन्य | |
| | राज्यों द्वारा दिये गए विशेष अनुज्ञापत्र या ''ऑल | |
| | इण्डिया दूरिस्ट परमिट'' पर ठेका गाड़ी के रूप में | |
| | शण्डवा दूररू परामट विराठका गाड़ा क रूप म चलाये जा रहे हैं, प्रत्येक सीट, चालक को छोड़कर | |
| | जिसको ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है, | |
| | जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है | |
| | जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता हु (एक) वातानुकूलित मोटर कैब के लिए | |
| | | रु. 50/- प्रति सीट, प्रतिदिन |
| | (दो) साधारण मोटर कैब के लिए | रु. 40/- प्रति सीट, प्रति तीन] |
| | (5) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान | अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके |
| | | अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के |
| | अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा | प्रति 10 किलोमीटर या उसके भाग |
| मध्यप्रदेश दिरांक | ा मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा .2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित। | स्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) |
| and and | -2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित । ना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा अंत | |



| अनुसूची । | मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम. | |
|-----------|---|--|
| | (8) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है- | के लिये साधारण बस के लिये ¹ [50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ¹ [एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा। |
| | (6) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क)के अधीन मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, (चालक को छोड़कर) प्रति सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है | अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति10 कि.मी. या उसके भाग के लिये साधारण बस के लिये ² [50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ² [एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा।] |
| | ³ [(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है - | |
| | (एक) साधारण बस के लिये | उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 7.00 प्रतिसीट प्रतिदिन; |
| | (दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिये | उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर वे अतिरिक्त रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिदिन ।] |
| | ⁴ [(8) ''ग्रामीण सेवा यान'' से अभिप्रेत है ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 6 से 21 यात्रियों की है तथा जो राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, | रु. 60.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही.] |



| 20 | मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 199 | । अनुसूची । |
|----|---|--|
| | 1988 (1988 का 59) की धारा 72 या 87 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा- पत्र के अधीन केवल ''ग्रामीण मार्ग'' पर अनन्यरूप से प्रक्रम मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, चालक तथा परिचालक को छोड़कर प्रतिसीट के लिए जिसे ले जाने के लिए | |
| | वह यान अनुज्ञात किया गया है । | |
| | ¹[(छ) बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे मोटरयान, (क) 12 यात्रियों तक को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर) | रु. 1000.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार; |
| | (ख) 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर) | रु. 1500.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार ।] |
| | स्पष्टीकरण (1) यान में, ले जाने के लिए अनुज्ञात यात्रियों की संख्या जिसमें ऐसे यान के चालक तथा परिचालक सम्मिलित नहीं होगे, और :- | |
| | (एक) किसी मोटरयान की दशा में, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञा पत्र मंजूर किया गया है, यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान में ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत है। | |
| • | (दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र के बिना किराए या पारिश्रमिक पर चलाए जा रहे किसी मोटरयान की दशा में, व्यक्तियों अथवा यात्रियों की अधिकतम वह संख्या होगी जो यदि अनुज्ञापत्र पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मंजूर किया जाता तो यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात की जाती : | |
| | परन्तु किसी ऐसी मोटर केब या मोटरकार की दशा में, जिसका कि मंजिली गाड़ी के रूप में दुरुपयोग किया गया है, यात्रियों की संख्या | |
| | वही होगी जो ऐसे दुरुपयोग के समय वस्तुतः ले जा गए व्यक्तियों या यात्रियों की संख्या है । | |
| | स्पष्टीकरण (2) मद (ग) (एक) तथा (घ) (एक) के प्रयोजनों के लिए ''एक्सप्रेस सेवा'' से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जो परिवहन | |
| | प्राधिकारी द्वारा उस रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है। | |
| | स्पष्टीकरण (3) किसी यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी किसी ऐसे मोटरयान की दशा में, जिसके कि | |
| | संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर | |



| नुसूची । | । मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 | | |
|------------|--|----------------------------|--|
| 1 | किया गया है, वह दूरी होगी जो ¹ [मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार] | | |
| 7 | तय की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है। | | |
| | स्पष्टीकरण (4) जहाँ मध्यप्रदेश सरकार और किसी | | |
| 1 | अन्य राज्य की सरकार के बीच के किसी करार के अनुसरण में, किसी | | |
| | ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में, जो किसी ऐसे मार्ग पर चलाई जा रही | | |
| | है जो भागतः मध्यप्रदेश में और भागतः किसी अन्य राज्य में आता | | |
| | है, कर केवल मध्यप्रदेश सरकार को ही देय है वहाँ ऐसे यान के संबंध | | |
| | में कर की संगणना, ऐसी मंजिली गाड़ी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे | | |
| | मार्ग पर तय की गई कुल दूरी पर की जाएगी। | | |
| | स्पष्टीकरण (5) जहाँ किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक | | |
| | को ले जाने से छूट दी गई वहाँ स्पष्टीकरण (1) में आने वाले शब्द | | |
| | "चालक तथा परिचालक" का अर्थ केवल "चालक" लगाया जाएगा। | | |
| | ² [स्पष्टीकरण (6) खण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिए, | | |
| 1 . | मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र धारक की आरक्षित मंजिली गाड़ियों/ | | |
| | अतिरिक्त बसों की संख्या उस अन्तर के बराबर होगी, जो स्वामित्व | | |
| | के कुल यानों की संख्या तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञापत्र की शर्तों | | |
| | के अनुसार अपेक्षित कुल यानों की संख्या के बीच हो । | | |
| | स्पष्टीकरण (7) खण्ड (छ) में के शब्द "बिना अनुज्ञापत्र | | |
| | के चलाए जा रहे" के अन्तर्गत आता है किसी अप्राधिकृत मार्ग पर किसी | | |
| | लोक सेवा यान का चलाया जाना या मोटरयान अधिनियम, 1988 के | | |
| | अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा पत्र द्वारा प्राधिकृत न की गई कोई ट्रिप | | |
| | करना, किन्तु उसके अन्तर्गत किसी लोक सेवा यान का ³ [***] | | |
| | मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) में | | |
| | अधिकथित परिस्थितियों के अधीन चलाया जाना नहीं आता है। | | |
| | स्पष्टीकरण (8) खण्ड (छ) के अधीन उद्ग्रहणीय कर | | |
| 1 | का संदाय निम्नलिखित बातों के होते हुए भी किया जाएगा :- | | |
| | (1) चाहे मोटरयान के स्वामी का अभियोजन किया गया हो | | |
| | या नहीं, और | | |
| | (2) जहाँ मोटरयान बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाने या | | |
| 1 | अप्राधिकृत मार्ग पर चलाए जाने या उसके द्वारा अप्राधिकृत ट्रिप जाने | | |
| | के लिए चालान फाइल किए जाने के पश्चात् चाहे दाण्डिक कार्यवाहियाँ | | |
| | समाप्त हो गई हो या नहीं हुई हो ।] | | |
| | 4[स्पष्टीकरण (9) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के | | |
| 3 | धारक द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र पर चलाने के लिए प्राधिकृत बसों की बाबत् | | |
| | देय कर :- | | |
| मध्यप्रदेश | । मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा प्रतिस्थापित। | | |
| | । मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) | | |
| मध्यप्रदेश | ा मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) द्वारा (10-10-1992 | से) विलोपित अन्तःस्थापि | |



| 22 | | 400 | प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 19 9 | भ अनुसूची । |
|-------|-------------------|-----------|---|------------------------------|
| | (एक) | बसों की | ऐसी संख्या के लिए जो धारित पत्रों के अन्तर्गत | |
| | | आने वा | ले समस्त मार्गों पर किसी भी दिन सेवा बनाए | |
| | | रखने हेर् | तु चलाने के लिए अपेक्षित हो, उप-मद (घ) | |
| | | के अधी | न, तथा | |
| | (दो) | बसों की | शेष संख्या के बाबत उप-मद (ङ) के अधीन, | |
| | | ऐसी बस | गें की औसत बैठने की क्षमता के आधार पर | |
| | | संगणित | किया जाएगा।] | |
| पाँच. | मालयान - | | | |
| | ¹ [(क) | जिसका | रजिस्ट्रीकृत लदान वजन | |
| | | | 2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 600.00 प्रति तिमाही । |
| | | (दो) | 2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 900.00 प्रति तिमाही । |
| | | (तीन) | 4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 1300.00 प्रति तिमाही । |
| | | (चार) | 6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 8000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 1700.00 प्रति तिमाही। |
| | | (पाँच) | 8000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 10000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2100.00 प्रति तिमाही । |
| | | (छह) | 10000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2500.00 प्रति तिमाही । |
| | | (सात) | 12000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 14000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2900.00 प्रति तिमाही । |
| | | (आठ) | 14000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 16000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 3300.00 प्रति तिमाही । |
| | | (नौ) | 16000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 18000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 3700.00 प्रति तिमाही । |
| | | (दस) | और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 2000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए। | रुपये 500.00 प्रति तिमाही ।] |
| | (ख) | मोटरयान | ा अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा | |
| | | | 5 अधीन किसी अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए | |
| | | | परमिट के अन्तर्गत आने वाले मालयानों के | |
| | | | कर 2[रुपए 5000] प्रतियान प्रतिवर्ष होगा । | |
| | (可) | | ज्यों के मालयानों के संबंध में जो अन्य राज्य | |
| | | | ारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा | |
| | | | ाक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधिकार पर चल रहे हैं, | |
| | | | संदाय, खण्ड पाँच के उपखण्ड (क) में तिमाही | |
| | | | विनिर्दिष्ट कर के ² [पिच्यासी प्रतिशत] की दर | |
| | | से किया | जाएगा । | |



| | (| घ) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चल रहे हैं, कर की दर, (खण्ड पाँच) के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी। | |
|----------------------------------|--|---|--|
| ¹ [² [छह. | छह से अ वाले औ | बस निजी उपयोग के लिए]- अधिक व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) के बैठने की क्षमता र व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले | |
| | (क) | ा की प्रत्येक सीट के लिये- जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 तक है। जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 | रु. 100.00 प्रतिसीट प्र तिमाही। रु. 350.00 प्रतिसीट प्रा |
| [।] [सात. | | से अधिक है। सेवा यान - | तिमाही ।] |
| | चालक व और साध व्यापार य अथवा प | को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले गरणत: ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसके अपने या कारबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराये गरितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के प्रयोजन के लिए में लाए जाने वाले प्राइवेट सेवा यान | |
| | 3[(एक) | जहाँ कि यान स्वामी के नाम से रजिस्ट्रीकृत है | रु. 450.00 प्रतिसीट प्र तिमाही। |
| | | जहाँ कि यान स्वामी द्वारा पट्टा करार के अधीन भाड़े पर अर्जित किया गया है। | रु. 600.00 प्रतिसीट प्र तिमाही।] |
| आठ. | चालक व शैक्षणिक अन्य शैध है और वि के संबंध | क संस्था बस- को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली 5 संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या क्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लाई जाती जसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृन्द के परिवहन ही किया जाता है। | रु. 30.00 प्रतिसीट । |
| '[नौ. | इस अनु के अन्त | सूची के विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग तर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान लदान रहित वजन- | |
| | (दो) | 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। 1000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 152.00 प्रति तिमाही रुपये 200.00 प्रति तिमाही |



| 24 | मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 अनुसूची | | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|--|
| (तीन) | 2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 290.00 प्रति तिमाही | | |
| (चार) | 3000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 382.00 प्रति तिमाही | | |
| (पाँच) | 4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 5000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 527.00 प्रति तिमाही | | |
| (छह) | 5000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 690.00 प्रति तिमाही | | |
| (सात) | 6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 7000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 871.00 प्रति तिमाही | | |
| (आठ) | और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये | रुपये 254.00 प्रति तिमाही | | |
| (नौ) | प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर | रुपये 73.00 प्रति तिमाही । | | |
| ¹ [(दस) |) ऐसे यान, जो क्रेन, क्रेशर, बुलडोजर, डम्पर, लोडर ट्रक, पेलोडर, अर्थमूवर, मोटर ग्रेडर, यांत्रिक फावड़ा (मैकेनिक शोवल) तथा हार्वेस्टर के नाम से आशयित हैं, और जिनका लदान रहित भार | | | |
| | (एक) 700 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है | रु. 3700/- प्रति तिमाही | | |
| | (दो) और तत्पश्चात् प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए | रु. 500/- प्रति तिमाही ।] | | |
| टिप्पणी | (1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित | वर्ग के मोटरयानों को तभी लाग | | |
| होंगी जब उनमें हवाव | तर (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए हों। | | | |
| (2) गैर हवाद | तर (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुए किसी मोटरयान की बाबत ो हुए यान के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों का डेढ़ गुना होंगी | | | |
| | टिप्पणी | | | |

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम अनुसूची का स्पष्टीकरण (7) के साथ पठित म.प्र. मोटरयान संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथा संशोधित म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार के खण्ड (छ) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की विधि को असंवैधानिक घोषित किया -- लंबित मामलों पर परिणाम -- असंवैधानिकता के प्रश्न पर विचार करने एवं लंबित मामलों पर उसे लागू करने के संबंध में विचार करने हेतु उच्च न्यायालय स्वतंत्र है। अपील प्राधिकारी/परिवहन आयुक्त बनाम विभागीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य परिवहन निगम, 2008 (1) एम.पी.एल.जे. 294।

प्रथम अनुसूची के खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण (7) के अधीन उपबंध -- असंवैधानिक है -- परमिट-धारक के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमिटधारी नहीं है -- 1988 की धारा 192क के अधिनियम के अधीन उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 556।

1. अधिसूचना क्र. एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा उप मद जोड़ी गई। (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।

5



| | | द्वितीय अनुसूची | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | [धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम | परंतुक] | | | |
| | | मोटर यानों का वर्णन | जीवन काल कर की दर | | | |
| | | (1) | (2) | | | |
| 1 [1. | संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें | | | | | |
| | जिनका | लदान रहित वजन- | | | | |
| | (एक) | 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | यान के मूल्य (कास्ट) का ² [7 प्रतिशत] | | | |
| | (दो) | 70 किलोग्राम से अधिक है। | यान के मूल्य (कास्ट) का ²[7 प्रतिशत] | | | |
| 2. | मोटर व | मोटर कारें | | | | |
| | जिनका | लदान रहित वजन - | | | | |
| | (एक) | | यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। | | | |
| | (दो) | 800 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | यान के मूल्य का ²[7 प्रतिशत]। | | | |
| | (तीन) | 1600 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | यान के मूल्य का ²[7 प्रतिशत]। | | | |
| | (चार) | 2400 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | यान के मूल्य का ²[7 प्रतिशत]। | | | |
| | (पाँच) | 3200 किलोग्राम से अधिक है। | यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। | | | |
| 3 [3. | (2) उपरोक्त वर्ग के यानों के मूल्य (कास्ट) के आधार पर जीवन-काल-कर की संगणना करने के लिए, यान के से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे।] निजी उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत] क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) है। | | | | | |
| 4[4. | | । यात्री गाड़ी | 360] | | | |
| \$[5. | | तक की बैठक की क्षमता वाले ऑटोरिक्शा। | बाजार मूल्य का 6 प्रतिशत ।] | | | |
| 6 [6. | | .शर, बुलडोजर, ⁷ [***] ट्रक, लोडर ट्रक, अर्थमूवर/ , मोटर ग्रेडर तथा यांत्रिकी फावड़ा (मैकेनिकल शोवल)। | यान की लागत का 6 प्रतिशत।] | | | |
| 2. 3 я я 3. म 4. म 5. म 6. म 7. म | धिसूचना काशित । ब्द प्रतिस्था घ्यप्रदेश मो घ्यप्रदेश मो घ्यप्रदेश मो घ्यप्रदेश मो घ्यप्रदेश मो | टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 11 स क्रमांक एफ. 22-31-2009-आठ, दिनांक 12 अक्टूब र प्रतिस्थापित । मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ति इससे पूर्व मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, पित किये गए थे। टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 स दिनांक 1-2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित। टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 स टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 1 सन् टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 1 सन् टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 स् टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 स् टरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 स् | तर, 2009 द्वारा अंक और शब्द '' 5 प्रतिशत' देनांक 12 अक्टूबर, 2009 पृष्ठ 1037 प 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा '' 5 प्रतिशत तन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित । मध्यप्रदेश राजप न् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित । 2001) द्वारा अन्तःस्थापित । (2005) द्वारा (5-1-2005 से) अन्तःस्थापित । सन् 2006) द्वारा शब्द ''डम्पर ट्रक'' विलोपित | | | |



| '[7. 8. | माल यान, जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार 2000 किलोग्राम या कम है। डम्पर ट्रक | | यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिश जीवन-काल-कर। यान के मूल्य (कास्ट) के 10 प्रतिशत की द पर जीवन-काल-कर।] | |
|------------|--|--|--|--|
| | | तृतीय अनुसूची [धारा 4 देखिए] | 4(4)44-49(0-47(1) | |
| | यानों का वर्णन | किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर | | |
| | | रुपये पैसे | रुपये पैसे | |
| (1) | मोटर साइकिलें | 400.00 | 400.00 | |
| (2) | भारी मोटरयानों के चेसिस | 600.00 | 600.00 | |
| (3) | अन्य यान | 500.00 | 500.00 | |

 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा जोड़ा गया। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।